जमानत आवेदन संख्या –157 /2026

न्यायालय, जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, नवगछिया, भागलपुर।
जमानत आवेदन संख्या–157/2026
नवगछिया थाना कांड संख्या–146/2026
अन्तर्गत धारा :–126(2), 115(2), 117(2), 109,(1) 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत।

1. दीपक कुमार
2. संजय सिंह ....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार .... अभियोजन पक्ष

05.06.2026 प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन आवेदक अभियुक्त दीपक कुमार एवं संजय सिंह की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया गया है जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण नवगछिया थाना कांड संख्या–146/2026 के नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त संजय सिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था और उसी दौरान संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गयी। इसके बाद आवेदक अभियुक्तगण किसी प्रकार का अन्य कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। आगे कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण को गॉव के गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों के बीच काउन्ट केस है। आवेदक अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों का पालन एवं न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। आवेदक अभियुक्त दीपक सिंह दिनांक–30.04.2026 से काराधीन है एवं अभियुक्त संजय सिंह दिनांक–17.05.2026 से काराधीन है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

अभियोजन का वाद सूचक पंकज सिंह के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–25.03.2026 को समय करीब 10 बजे दिन में सूचक और इसका भाई अंकज कुमार सिह के साथ अपने घर पर था। उसी समय सूचक के ग्रामीण हिमांशु कुमार ने सूचक को बुलाया और कहने लगा कि तुम्हारा बाथरूम का दिवाल टेढ़ा है। उसपर सूचक ने कहा कि अगर दिवाल टेढ़ा है तो उसे नापी करा लीजिये, यह कहते ही वह सूचक को लोहे के रड से सूचक के कपार पर मार दिया जिससे बुरी तरह जख्मी हो गया। सूचक का भाई और मॉ इसे उसने बचाने आये तो सूचक का भाई को हिमांशु कुमार का भाई ललीत कुमार उर्फ लेभव कुमार ने जान मारने के नियत से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे इसका भाई अंकज कुमार सिंह का माथा फट गया और दर दर खून बहने लगा। इसपर सूचक की मां और पिता जब घटनास्थल पर आये तो संजय सिंह ने आदेश दिया कि उस दोनों को भी मारकर सुला दो। इतने में दिलखुश कुमार ने इसकी मां के हाथ पर लाठी से प्रहार कर दिया जिससे इसकी मां का बायां हाथ क्रेक कर गया। इसके पिता जी को संजय सिंह के आदेष पर राणा कुमार ने रड से मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटनास्थल पर दीपक कुमार एवं मलिक कुमार अपने हाथ में लिए थ्रीनट से इन लोगो के उपर तान दिया और बोला कि हिलोगे डोलोगे तो गोली मार देंगें हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीण लोग जुट गये तब मुदालय लोग थ्रीनट लहराते हुए अपने घर के तरफ भाग गये। इस घटना को उपरोक्त सभी अभियुक्तगण ने जानबूझ कर एवं एकमत बनाकर जान मारने के नियत से इसे एवं इसकी

लगातार

05.06.2026

मां एवं पिता को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये सभी जख्मी लोग नवगछिया सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया और बेहतर ईलाज हेतु इन सब को मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। जहां इन लोगों का ईलाज हुआ।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका–04 वादी का पुनः बयान है। कंडिका–07 में घटनास्थल का वर्णन है जिसमें घटनास्थल ग्राम पकड़ा वार्ड नं0–3 प्राथमिकी अभियुक्त का नया कुर्सी बांधा हुआ घर तथा वादी का घर का पीछे का ईट का दिवाल है। कंडिका–08, 18, साक्षियों का बयान है जिन्होंने प्राथमिकी पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका–84 में जख्मी अंकज सिंह का बयान है जिन्होंने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका–108 में अभियुक्त संजय सिंह का आपराधिक इतिहास है जिसमें आवेदक अभियुक्त संजय सिंह के उपर पूर्व से 03 आपराधिक मामला दर्ज होने की बात बताई गयी है। अभिलेख पर उक्त वाद के जख्मी अंकज सिंह का जख्म प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जख्मी को सर पर चोट और उसके सर के हड्डी में फ्रेक्चर है तथा चिकित्सक के द्वारा गंभीर बताया गया है। अभिलेख पर जख्मी पंकज कुमार का भी जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है उसे भी सर पर चोट है और जख्म की प्रकृति साधारण है। इसके साथ ही जख्मी अमिता देवी का भी जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है जिसे बाये कंधो में सूजन पाया गया है। जख्म की प्रकृति साधारण है। आवेदक अभियुक्त पर विशिष्ट आरोप लगाया गया है। दोनों पक्ष के बीच काउन्ट केस है। इस वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यानम में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
नवगछिया, भागलपुर।

मेमो नं0.................................. दिनांक ....

प्रतिलिपिः– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, नवगछिया को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
नवगछिया, भागलपुर।